M.P.P.T.C.L., Jabalpur
R. No. 2719
Date 20 FEB 2014

म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

रजिस्टर्ड ऑफिस ब्लाक नं. 2, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर–482008

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/चार/585 दिनांक 18 FEB 2014

आदेश

म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ–4–133/ 2012/2/पचपन दिनांक 01.04.2013 को अधिग्रहित करते हुये, **क्रिसेन्ट हॉस्पिटल एवं हार्ट सेंटर, नागपुर** को म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड अपने अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को ऐसे रोग जिनके उपचार के लिये उपरोक्त हास्पिटल में सुविधायें उपलब्ध हैं एवं मध्य प्रदेश में सुविधायें उपलब्ध नहीं है के लिये म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित दरों पर आदेश जारी होने की तिथि से दिनांक 31.03.2015 तक की अवधि के लिये सशर्त चिन्हित करती है :–

2. उपरोक्त चिकित्सा संस्थान में जांच/उपचार के लिये शासन द्वारा निर्धारित शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्ते निम्नानुसार होगी :–

(1) उपरोक्त चिकित्सा संस्थान में जॉच कराने के पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी और निकटतम शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के रोग के संबंधित विभागाध्यक्ष की अनुमति/अभिमत लेना आवश्यक होगा तथा चिकित्सा हेतु कंपनी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा ।

(2) उपरोक्त चिकित्सा संस्थान के द्वारा कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों से पंजीयन शुल्क नहीं लिया जावेगा ।

(3) उपरोक्त चिकित्सा संस्थान के द्वारा कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों से निर्धारित दरों के अनुसार ही भुगतान प्राप्त किया जावेगा ।

(4) उपरोक्त चिकित्सा संस्थानों में जॉच/उपचार कराने पर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति म.प्र. शासन द्वारा राज्य के अंदर मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में उपचार हेतु जो दरें निर्धारित की गई है यदि उन दरों से प्रस्तावित अस्पताल की दरें कम हैं तो कम दरों पर तथा यदि प्रस्तावित अस्पताल की दरें राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में उपचार हेतु निधारित दरों की दरों से अधिक है तो राज्य शासन द्वारा निर्धारित दर पर ग्राह्य राशि का केवल 75% की सीमा तक की प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी ।

(5) चिन्हित चिकित्सालय में जांच कराने के पूर्व यदि कंडिका (1) में दर्शाये गये सक्षम अधिकारियों से रिफरल प्राप्त नहीं किया गया तो उस स्थिति में ग्राह्य राशि का मात्र 50% प्रतिपूर्तिनीय होगा ।

(6) मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी समय–समय पर चिकित्सा संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जांच कर सकेंगे ।

(7) उपरोक्त चिकित्सा संस्थानों को दरों की रेट लिस्ट चिकित्सालय में लगाई जाना आवश्यक है ।

(8) किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर कंपनी के द्वारा उपरोक्त चिकित्सा संस्थान का चिन्हिकरण किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकेगा ।

मुख्य अभियंता (कार्पोरेट अफेयर्स एवं आई.टी.)
म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि.,जबलपुर

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/चार/586 दिनांक 18 FEB 2014

प्रतिलिपिः–

1. कार्यपालक निदेशक (एच.आर.एंड ए.), म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
2. मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन), म.प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
3. मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशा.), म.प्र.मध्य क्षे.वि.वि.कं.लि., भोपाल।
4. मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशा.), म.प्र.पश्चिम क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर।
5. मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशा.), म.प्र.पूर्व क्षे.वि.वि.कं.लि., जबलपुर।
6. मुख्य अभियंता (मानव संसाधन विकास)/(सीआरए)/(योजना एवं रूपांकन)/(अति उच्च दाब–संधारण एवं निरीक्षण)/(राज्य भार प्रेषण केन्द्र)/(अति उच्च दाब–निर्माण)/(प्रोक्योरमेंट)/(परीक्षण एंव संचार)/(सिविल–ट्रांसमिशन), म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
7. मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
8. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, म.प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड चिकित्सालय, जबलपुर ।
9. सलाहकार (परीक्षण एवं संचार), म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
10. अतिरिक्त मुख्य अभियंता (ट्रांस.–भण्डार), म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
11. संयुक्त निदेशक (वित्त)/(लेखा), म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
12. संयुक्त/उप निदेशक (पेंशन एवं भविष्य निधि), म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।

क्रमशः – 2 –

13. अधीक्षण अभियंता (परीक्षण एवं संचार)/(अउदा–निर्माण)/(अउदा–संधारण) वृत्त, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर/भोपाल/इंदौर/उज्जैन/ग्वालियर/नागदा/सतना/ सागर/सिवनी ।
14. अधीक्षण अभियंता, 400 केव्ही उपकेन्द्र वृत्त, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, भोपाल/खण्डवा/बीना ।
15. कार्यपालन अभियंता (परीक्षण संभाग)–एक/दो म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर/कटनी/सिवनी/छिंदवाड़ा/भोपाल/इटारसी/होशंगाबाद/ब्यावरा/विदिशा/इंदौर/राजगढ़(धार)/खण्डवा/बड़वाह/उज्जैन/देवास/सुजालपुर/रतलाम/नीमच/ग्वालियर/ गुना/शिवपुरी/मुरैना/सतना/रीवा/शहडोल/सागर/टीकमगढ़ ।
16. कार्यपालन अभियंता (अउदा–निर्माण) संभाग–एक/दो म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर/सतना/सागर/भोपाल/इटारसी/इंदौर/उज्जैन/बड़वाह/ग्वालियर/बीना ।
17. कार्यपालन अभियंता (अउदा–संधारण) संभाग म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर/ सतना/इटारसी/ग्वालियर/इंदौर/रतलाम ।
18. कार्यपालन अभियंता (ट्रांस.–भण्डार)संभाग म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर/ इटारसी/इंदौर ।
19. कार्यपालन अभियंता (संचार)संभाग म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर/भोपाल/इंदौर ।
20. कार्यपालन अभियंता, 400 केव्ही (परीक्षण) संभाग, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, बीना/नागदा/इंदौर/भोपाल ।
21. सलाहकार (कर्मशाला संभाग), म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, सीहोर।
22. स्टाफ आफीसर संबद्ध प्रबंध निदेशक, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
23. निज सचिव, संबद्ध निदेशक (तकनीकी), म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
24. चिकित्सा अधिकारी, कर्मशाला संभाग चिकित्सालय, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, सीहोर ।
25. कंपनी सचिव/कल्याण अधिकारी, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
26. क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर/इंदौर/भोपाल ।
27. ग्रंथपाल, म.प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर ।
28. संचालक, क्रिसेन्ट हॉस्पिटल एवं हार्ट सेंटर, प्लाट नं.–25, 1st लेन लोकमत चौक के पास, ओल्ड माउंट केरेमल स्कूल के पीछे, धन्तोली, नागपुर (महाराष्ट्र) :– कृपया म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि. के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों की जांच/उपचार के दौरान समुचित समन्वय हेतु नोडल अधिकारी/चिकित्सक को अधिकृत कर, तत्संबंध में कंपनी को तत्काल सूचित करें ।

प्र. वेब मास्टर, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि. जबलपुर –

अधीक्षण अभियंता (कार्पोरेट अफेयर्स)
म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि.,जबलपुर